संख्या-8/2022/968/96-आयुष-1-2022-35/2021

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 25 मार्च, 2022**

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 04 शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-152/446/भवन निर्माण/2020-21/योजना; दिनांक 16.03.2022 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 04 शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु कुल 13 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु कुल धनराशि रू0-272.61 लाख (प्रति चिकित्सालय हेतु रू0-20.97 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-78.00 लाख (प्रति चिकित्सालय रू0-6.00 लाख) अवमुक्त किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 04 शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित कुल 02 चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार द्वितीय किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0-13.00 लाख (प्रति चिकित्सालय रू0-06.50 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
2- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
3- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का होगा।
5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

7- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

8- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

9- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

10- कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का होगा।

11- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-04-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय-01अनावासीय भवनों का निर्माण (चालू कार्य) के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त्।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-8/2022/968(1)/96-आयुष-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) सम्बन्धित जिलाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(4) सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(5) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(7) सम्बनिधत कार्यदायी संस्था (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(8) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-8/2022/968/96-आयुष-1-2022-35/2021 दिनांक 25 मार्च, 2022 का संलग्नक।

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्थान	प्रति चिकित्सालय निर्माण की कुल लागत	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	नटकुर	20.97	6.00	06.50
2	सोनभद्र	पनिकप	20.97	6.00	06.50
		कुल योग	**41.94**	**12.00**	**13.00**

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।